

**मांग संख्या 13**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

अनुविभागीय कृषि अधिकारियों को प्रतिस्थापन के आधार 15 वाहन (जीप) क्रय हेतु राशि रूपये 53.50 लाख का व्यय संभावित है ।

इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 53,50,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

कृषि विभाग के अधीन 03 मुद्रणालय क्रमशः रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर के मशीनों को बदलने हेतु 03 डुप्लीकेट मशीन क्रय हेतु रूपये 18.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 18,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

कृषक समग्र विकास योजनान्तर्गत नयी योजना के रूप में बीज बैंक योजना तथा गन्ना विकास हेतु 425.00 लाख तथा कुछ पुरानी योजनाओं क्रमशः बीज अनुदान योजना तथा नाडेय योजना को इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने के कारण राशि रूपये 105.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 5,30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 4**

उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर तथा कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, राजनांदगांव हेतु 02 कम्प्यूटर प्रिंटर क्रय हेतु रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 5**

कृषकों को उत्पादित फसल उनके खलिहान में रखे होने पर असामयिक मौसम अथवा अग्नि आदि जैसे दुर्घटना होने वाले भरपाई हेतु राशि 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 6**

राज्य शासन द्वारा मिनी राईस मिल की स्थापना के लिये किसानों को मिनी राईस के लागत मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 20,000 का अनुदान दिया जाना है । इस हेतु राशि 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 7**

कृषि यंत्रि कार्यालय, बिलासपुर एवं जगदलपुर हेतु 02 नग फोटोकॉपियर मशीन क्रय हेतु रूपये 1.70 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,70,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 8**

संभागीय कृषि यंत्रि कार्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर हेतु 2 नग व्हील टाईप ट्रेक्टर मय डोजिंग अटैचमेंट क्रय किये जाने हेतु राशि 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 15,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 9**

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण हेतु ग्रेडिंग तथा पैकिंग के अंतर्गत इकाईयाँ स्थापित करने के लिए शेड निर्माण हेतु रूपये 54.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 54,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 45**  
**मुख्य शीर्ष 2702**

**मद क्रमांक 1**

चार सहायक यंत्री कार्यालय रायपुर अंबिकापुर, जगदलपुर तथा कबीरधाम हेतु 03 आफिस टेबिल, 15 अलमिरा, 10 रेक तथा 15 कुर्सी क्रय हेतु राशि रूपये 150 लाख तथा सहायक यंत्री कार्यालय कबीरधाम तथा अंबिकापुर हेतु कृषि यंत्रों के परिवहन हेतु 02 मिनी ट्रक क्रय पर रूपये 12.50 लाख कुल रूपये 14.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 14,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

जिला कबीरधाम में सहायक कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नानुसार पदों का निर्माण किया जाना है :-

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1.	सहायक कृषि यंत्री	01	8000-13500
2.	यांत्रिकी सहायक	01	5000-8000
3.	यांत्रिक	02	3500-5200
4.	सहायक ग्रेड-2	01	4000-6000
5.	सहायक ग्रेड-3	01	3050-4590
6.	आपरेटर ग्रेड-2	07	3050-4590
7.	वैल्डर	01	3050-4590
8.	वाहन चालक(नियमित)	01	2610-3540
	वाहन चालक (नैमेतिक)	02	
9.	क्लीनर/हेल्पर (नियमित)	02	2550-3200
	क्लीनर(नैमेतिक)	03	
10.	भृत्य	01	2550-3200

**23 पद**

इन पदों पर राशि रूपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा तथा अनावर्ती व्यय के रूप में रूपये 10.00 लाख कुल रूपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 25,00,000 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 45**  
**मुख्य शीर्ष 4702**

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हेतु निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल करते हुए पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है

1. जिला रायपुर में खपरी जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 120.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. जिला रायपुर में देवरी जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 100.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. जिला महासमुन्द में बिहारनाला जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 141.40 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. जिला महासमुन्द में बड़ेलोरमा जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 113.40 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

5. जिला महासमुन्द में छिबरी जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 56.70 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
6. जिला महासमुन्द में कंतरा नाला जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 226.80 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
7. जिला राजनांदगांव में सुखियारिन लसिं.यो. का निर्माण (अनु. लागत रू. 65.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
8. जिला राजनांदगांव में बघेरा जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 34.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
9. जिला कबीरधाम में माहीडबरा जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 352.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
10. जिला दुर्ग में अमलीडीह जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 300.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
11. जिला दुर्ग में सुहागपुर जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 250.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
12. जिला दुर्ग में ठोठसुर अरसनाला जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 25.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
13. जिला दुर्ग में रसमढ़ा जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 90.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।
14. जिला बिलासपुर में मनियारी बैराज का निर्माण (अनु. लागत रू. 1976.67 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।
15. जिला रायगढ़ में त्रिमोना जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 72.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
16. जिला रायगढ़ में मौहापाली जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 61.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
17. जिला रायगढ़ में लोईंग जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 72.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
18. जिला रायगढ़ में मुरा जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 32.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
19. जिला दुर्ग में कामता जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 100.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
20. जिला दुर्ग में झरनटोला जलाशय का निर्माण (अनु. लागत रू. 134.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
21. जिला दुर्ग में बरडीह जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 167.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
22. जिला दुर्ग में कोडेकसा जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 109.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
23. जिला दुर्ग में जटादाह जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 137.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
24. जिला दुर्ग में पाटरी जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 124.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
25. जिला दुर्ग में खुदनी टारबंध निर्माण (अनु. लागत रू. 50.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

26. जिला राजनांदगांव में तिलईखार जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 105.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  27. जिला बिलासपुर में सेमराडीह जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 206.81 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  28. जिला रायगढ़ में कटौत जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 152.31 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  29. जिला दुर्गा में करी झिपनिया जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 40.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  30. जिला राजनांदगांव में शिवनाथ व्यपवर्तन का उन्नयन कार्य (अनु. लागत रू. 485.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  31. जिला दुर्गा में जगन्नाथपुर जलाशय का उन्नयन कार्य (अनु. लागत रू. 28.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  32. जिला दुर्गा में झरणटोला गिधवानाला (अपूर्ण) बांध का निर्माण (अनु. लागत रू. 120.94 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  33. जिला रायगढ़ में झरणटोला कौवाताल जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 80.51 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
  34. जिला रायगढ़ में बंशिया जलाशय निर्माण (अनु. लागत रू. 62.96 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
- इस वर्ष इन योजनाओं पर रूपये 500.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

#### मद क्रमांक 4

राज्य शासन द्वारा नदियों के जल बहाव के अधिकतम उपयोग एवं भूजल संवर्धन हेतु निम्नलिखित एनीकट/स्टापडेम को अपरीक्षित मद के रूप में शामिल करते हुए निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

1. जिला दुर्गा में खुदनी स्टापडेम का निर्माण (अनु. लागत रू. 50.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. जिला दुर्गा में शिवनाथ नदी में अमलडीह सेमरिया एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 204.50 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. जिला कबीरधाम में पवनलरा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 114.21 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. जिला धमतरी में पैरी नदी में सुरसाबांधा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 100.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
5. जिला धमतरी में पैरी नदी में बरोण्डा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 100.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
6. जिला राजनांदगांव में भरैगांव एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 298.56 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।
7. जिला राजनांदगांव में सांगली एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 100.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
8. जिला दुर्गा में उरला एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 48.30 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

9. जिला बिलासपुर में खारंग नदी पर फरहदा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू 195.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
10. जिला बिलासपुर में कोलबिर्वा स्टापडेम का निर्माण (अनु. लागत रू 30.21 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
11. जिला बिलासपुर में कोटखर्वा स्टापडेम का निर्माण (अनु. लागत रू. 36.90 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
12. जिला बिलासपुर में विद्याडीह एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू 296.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
13. जिला दुर्ग में लिंगेश्वर ओझागहन (पडकीभाठ) स्टापडेम का निर्माण (अनु. लागत रू 25.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
14. जिला राजनांदगांव में बरनाला राउलकसा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 80.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
15. जिला राजनांदगांव में किरगी एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 108.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
16. जिला राजनांदगांव में आरी एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 623.00 लाख), इस पर वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
17. जिला राजनांदगांव में केसला एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू 161.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
18. जिला दुर्ग में झेंझरी एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 195.95 लाख इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
19. जिला दुर्ग में बोईरकचरा स्टापडेम का निर्माण (अनु. लागत रू. 67.75 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
20. जिला धमतरी में सिलतरा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू 108.50 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
21. जिला धमतरी में भेलवाकुदा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 54.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
22. जिला रायपुर में दुलना एनीकट निर्माण (अनु. लागत रू. 118.37 लाख), इस पर इस वर्ष रू 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।
23. जिला रायपुर में रावर एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 214.40 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
24. जिला रायपुर में हरदी एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 164.20 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
25. जिला जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी (चांपा) एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू 577.85 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
26. जिला जांजगीर-चांपा में बसंतपुर (महानदी) एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू 1784.40 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

27. जिला रायपुर में गुमा काजवे कम एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 175.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
28. जिला राजनांदगांव में बगदई एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 170.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
29. जिला राजनांदगांव में आलीखुंटा एनीकट का निर्माण (अनु. लागत रू. 256.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।
30. जिला राजनांदगांव में मुड़पार का निर्माण (अनु. लागत रू. 25.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
31. जिला राजनांदगांव में अमेरा स्टापडेम (पीपर तालाब के पास) का निर्माण (अनु. लागत रू. 40.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।
32. जिला कबीरधाम में भरभरा (बी) स्टापडेम का निर्माण (अनु. लागत रू. 67.00 लाख), इस पर इस वर्ष रू. 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।  
इस वर्ष इन योजनाओं पर रूपये 600.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 6,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

ढांग संख्या 54  
ढुख्य शीर्ष 2415

ढद कुरढांक 1

ऑला कडूरधाम डें नया कृषल डहावलदालय खोलने हेतु राशल 100.00 लाख का वुय संडलवलत है ।

अतः इस डुरडुऑन हेतु अडुरीकुषलत नवलन ढद के रूड डें रूडडे 1,00,00,000 का डुरावधान कुरलया गया है ।

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत नयी योजना के रूप में बीज बैंक योजना तथा गन्ना विकास योजना हेतु रूपये 323.00 लाख तथा कुछ पुरानी योजनाओं क्रमशः सूरजधारा, अन्नपूर्णा, बीज अनुदान, नाडेय, रामतिल, चलित भूमि प्रयोग शाला तथा वनस्पति इंधन विकास योजनाओं को इस योजना में शामिल किये जाने के कारण राशि रूपये 296.02 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु परीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 6,19,02,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को बोनी कार्य हेतु शतप्रतिशत बीज तथा टैक्टर उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

केन्द्र प्रवर्तित आईसोपाम योजना अन्तर्गत दलहन-तिलहन के प्रमाधित बीज कृषकों को उपलब्ध करने हेतु देय अनुदान के अतिरिक्त 400 रूपये या बीज की लागत का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान हेतु राशि 125.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,25,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 4**

भारत सरकार के केन्द्र प्रवर्तित योजना मेकरोमेनेजमेंट वर्किंग प्लान अंतर्गत दिये जाने वाले कृषि यंत्र शक्ति चलित,हस्त चलित एवं बैल चलित यंत्रों राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत अधिक अनुदान देने हेतु राशि 200.00 का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 5**

कृषकों को उत्पादित फसल उनके खलिहान में रखे होने पर असामयिक मौसम अथवा अग्नि आदि जैसे दुर्घटना होने वाले भरपाई हेतु राशि 38.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 38,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 6**

कृषि यंत्री कार्यालय जगदलपुर तथा सहायक यंत्री कार्यालय अंबिकापुर हेतु 2 नवीन टेक्टर क्रय करने हेतु राशि रूपये 14.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में 14,30,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 7**

राज्य शासन द्वारा मिनी राईस मिल की स्थापना के लिये किसानों को मिनी राईस के लागत मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 20000 का अनुदान दिया जाना है । इस हेतु राशि 38.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 38,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 8**

भूजल स्तर में गिरावट की रोकथाम तथा सतही जल को रोककर भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु रूपये 19.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु परीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 19,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत नयी योजना के रूप में बीज बैंक योजना तथा गन्ना विकास योजना हेतु रूपये 102.00 लाख तथा कुछ पुरानी योजनाओं क्रमशः सूरजधारा, अन्नपूर्णा, बीज अनुदान तथा वनस्पति इंधन विकास योजनाओं को इस योजना में शामिल किये जाने के कारण राशि रूपये 113.88 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु परीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 2,15,88,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

कृषकों को उत्पादित फसल उनके खलिहान में रखे होने पर असामयिक मौसम अथवा अग्नि आदि जैसे दुर्घटना होने वाले भरपाई हेतु राशि 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 12,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा मिनी राईस मिल की स्थापना के लिये किसानों को मिनी राईस के लागत मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 20000 का अनुदान दिया जाना है । इस हेतु राशि रूपये 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 12,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 4**

भूजल स्तर में गिरावट की रोकथाम तथा सतही जल को रोककर भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु रूपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु परीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 6,00,000 का प्रावधान किया गया है ।